खनिज कराधान: एकरूपता और राज्यों की वित्तीय शक्ति का संतुलन

अगस्त 2026 | समाचार संदर्भ: 17 अगस्त; प्रभावी: 22 अगस्त 2026 | GS-II / GS-III

खनिज उत्पादन राष्ट्रीय उद्योगों को सामग्री देता है, जबकि खनन का स्थानीय असर और राजस्व राज्यों से जुड़ता है। इसलिए कर की स्थिरता तथा राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, दोनों पर विचार जरूरी है। नई कानूनी सीमा को केवल उद्योग की लागत या केवल केंद्र-राज्य टकराव तक सीमित नहीं करना चाहिए।

खबरों में क्यों

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को 17 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 22 अगस्त की अधिसूचना ने उसी दिन से इसे लागू किया। संशोधन ने खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर राज्यों के कर, उपकर तथा अन्य संबंधित आरोपण को केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों से जोड़ा। 18 अगस्त के सरकारी विवरण ने इसे स्थिर और संतुलित वित्तीय ढाँचे की दिशा बताया।

रॉयल्टी, खनिज अधिकार और भूमि-कर अलग क्यों हैं?

रॉयल्टी खनिज निकालने के अधिकार के लिए देय प्रतिफल है; इसे हर स्थिति में कर का पर्याय नहीं माना जा सकता। खनिज अधिकार पर कर और भूमि पर कर अलग संवैधानिक प्रविष्टियों से जुड़े प्रश्न हैं। 2024 के न्यायिक संदर्भ में यह अंतर महत्वपूर्ण था; 2026 के संशोधन की चर्चा में भी दोनों को मिलाना विश्लेषण कमजोर करेगा।

मुख्य तथ्य

नई धारा 9D: राज्य खनिज अधिकारों या खनिजयुक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य संबंधित लेवी केवल केंद्र की निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार लगा सकते हैं। भूमि की लेवी खनिज की मात्रा, मूल्य, देय रॉयल्टी या अन्य आधार पर हो सकती है। इसे पूरे खनन क्षेत्र के हर भुगतान की समाप्ति न कहें।

पुराने बकाये और प्राप्त रकम में अंतर: संशोधन के लागू होने से पहले संबंधित कर या लेवी जो राज्य में जमा या वसूल नहीं हुई थी, उसे कानून अवैध मानता है। जो रकम पहले जमा या वसूल हो चुकी थी, उसे लौटाने की बाध्यता नहीं रखी गई। भुगतान कर चुके और न करने वाले पक्षों का यह अलग व्यवहार विश्लेषण का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

भूमि और नियम बनाने का दायरा: केंद्रीय विनियमन में खनिजयुक्त भूमि जोड़ी गई तथा इसकी परिभाषा निर्धारित खनिज-मानकों से जुड़ी। धारा 13 में संबंधित शर्तें और प्रतिबंध बनाने की नियम-निर्माण शक्ति भी जोड़ी गई। अधिनियम, उसके तहत नियम और किसी विशेष कर की वैधता अलग स्तर हैं।

दोनों पक्षों की चिंता क्या है?

स्थिर लागत और निवेश: अचानक बदलती या अनेक लेवी परियोजना की लागत और निवेश-गणना को प्रभावित कर सकती हैं। सरकार का उद्देश्य अनुमानित वित्तीय व्यवस्था है; लागत घटने से हर उपभोक्ता को उतना ही लाभ मिलेगा, यह स्वतः सिद्ध नहीं है।

राज्यों का राजस्व और स्थानीय असर: खनिज-समृद्ध राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं, पर्यावरणीय असर और खनन-प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। राजस्व की स्वायत्तता और जिम्मेदारी को नीति में जगह मिलनी चाहिए।

संघवाद और विधायी सीमा: खनिज अधिकारों पर कर की राज्य सूची प्रविष्टि 50 और भूमि-कर की प्रविष्टि 49 में अंतर है। संसदीय सीमा की शक्ति दोनों पर समान है या नहीं, यह संवैधानिक विमर्श का प्रश्न है।

विश्लेषण और आगे की राह

एकरूपता का लक्ष्य और संवैधानिक शक्ति-विभाजन साथ पढ़ें। स्वतंत्र विधायी विश्लेषण ने भूमि-कर पर संसदीय सीमा, पुराने बकायों के प्रभाव, समान व्यवहार और कार्यपालिका को दिए विवेक पर प्रश्न उठाए हैं। इन्हें अंतिम न्यायिक निष्कर्ष न मानें। बेहतर रास्ते में राज्यों से संवाद, स्पष्ट विधायी मानक, पारदर्शी नियम और स्थानीय जरूरतों का आकलन शामिल हों। कर के साथ रॉयल्टी, अन्य वैध भुगतान तथा पर्यावरणीय दायित्व अलग दिखें। राजस्व की अनिश्चितता या करों का अचानक बदलाव दोनों निवेश और सार्वजनिक सेवाओं पर असर डाल सकते हैं।

अवधारणा में अंतर

2024 का फैसला पृष्ठभूमि है; खबर का नया आधार अगस्त 2026 का अधिनियम और उसकी शुरुआत है। कानून लागू होना और उसकी हर संवैधानिक आपत्ति का न्यायालय में अंतिम निपटारा होना एक बात नहीं है।

मेंस दृष्टि

उत्तर में केंद्र की स्थिरता संबंधी दलील और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता दोनों रखें। संवैधानिक प्रविष्टि, राजस्व, निवेश तथा स्थानीय समुदाय को जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

खनिज कराधान में एकरूपता की आवश्यकता को राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के साथ कैसे संतुलित किया जा सकता है? अगस्त 2026 के MMDR संशोधन के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: खनिजों के राष्ट्रीय आर्थिक महत्व के साथ खनन-प्रभावित राज्यों और स्थानीय समुदायों की जरूरतें रखें; स्थिर कराधान और वित्तीय स्वायत्तता का संतुलन बताएँ।

मुख्य भाग में: संशोधन की धारा 9D के संदर्भ में निवेश के लिए पूर्वानुमेय लागत और राज्यों के राजस्व तथा स्थानीय पर्यावरणीय जिम्मेदारी की चिंताएँ रखें। खनिज-अधिकारों के कर की राज्य सूची प्रविष्टि 50 और भूमि-कर की प्रविष्टि 49 में अंतर समझाएँ। पुराने जमा या वसूल भुगतान और बकाये के अलग व्यवहार से समानता के प्रश्न उठते हैं; इन्हें अंतिम न्यायिक निष्कर्ष न बताएँ। अधिनियम, नियम और विशेष कर की वैधता अलग स्तर हैं।

निष्कर्ष में: राज्यों से संवाद, स्पष्ट विधायी मानक, पारदर्शी नियम और स्थानीय जरूरतों का आकलन सुझाएँ। कर, रॉयल्टी और अन्य वैध दायित्व अलग रखें; कानून लागू होने को सभी संवैधानिक आपत्तियों का अंतिम निपटारा न मानें।

स्रोत

- 17 अगस्त: संशोधन अधिनियम का आधिकारिक राजपत्र

- 22 अगस्त: लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना
- विधायी और संवैधानिक प्रश्नों का विश्लेषण

याद रखें: कर की स्थिरता और राज्यों की शक्ति, दोनों का उत्तर स्पष्ट कानून और संवाद में खोजें।